रजिस्ट्री सं॰ डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 1974/ ज्येष्ठ 3, 1896

No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 1974/JYAISTHA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May 1974

S.O. 321(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Second Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, after entry (1), the following entry shall be inserted, namely:—

"(1-A) by the signature of Section Officer (Special) in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961; or"

[No. F. 23/1/74-Public]

M. C. MISRA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1974

का० आ० 321 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश तथा अन्य लिखित) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश तथा अन्य लिखित) द्वितीय संशोधन नियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश तथा अन्य लिखित) नियम, 1958 के नियम 2 में, प्रविष्टि (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायगी अर्थात् :—

"(1—क) भारत सरकार (कारबार का आवंटन) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के हस्ताक्षर द्वारा या"

[सं० फा० 23/1/74-पब्]

महेश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974